

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी
सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 291, 171, 281 में
रतने देवी का नाम रतने देवी पति राजेश्वर है जबकि
राजेश्वर का नाम रतने देवी पति राजेश्वर है
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

रतने देवी
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के
खाता संख्या 291, 171, 281 में प्रार्थी का नाम रतने देवी दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
राजेश्वर व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रतने देवी है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0
राजेश्वर
31/5/22

राजेश्वर
पटवारी/प्रस्ताव
पटवारी
पटवारी हल्का
तह. शाहपुरा (भील.)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी राजेश्वर व भू0अ0नि0 राजेश्वर एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 77 की खाता संख्या 291, 171, 281
में प्रार्थी का नाम रतने देवी के बजाय रतने देवी रिकॉर्ड किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

राजेश्वर
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम शाहपुरा जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 77 खाता
संख्या 291, 171, 281 में दर्ज प्रार्थी का नाम रतने देवी के स्थान पर रतने देवी रिकॉर्ड किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं।



राजेश्वर
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)